बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक सं0–286/बामेती/2024–25/–2025 - पी०पी०एम०- 155-   कृ0 पटना दिनांक,-05.10.2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+)
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना (+)

विषयः– **चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य स्कीम मद से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम योजना का वित्तीय वर्ष 2025–26 में 3125.39 लाख (इकतीस करोड़ पच्चीस लाख उनतालीस हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – **स्वीकृत।**

चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य स्कीम मद से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम योजना का वित्तीय वर्ष 2025–26 में 3125.39 लाख (इकतीस करोड़ पच्चीस लाख उनतालीस हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मुख्य फसल उत्पादन प्रणालियों की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु प्रमुख जलवायु आधारित समस्याओं को संबोधित करने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यान्वित करना है।

3. जलवायु के अनुकूल उचित फसल प्रणाली के माध्यम से तकनीक आधारित खेती द्वारा किसानों का आर्थिक सहायुता प्रदान करने के साथ–साथ योजना के कार्यान्वयन से किसानों की आय में बढ़ोत्तरी, जैव विविधता में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। योजना का धटकवार/वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–01 के रूप में संलग्न है।

4. बदलती जलवायु परिस्थितियाँ (बाढ़, सूखे, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि और तापमान में परिवर्तन) होने से फसल के उपज में कमी तथा क्षेत्र के फसल पैटर्न में बदलाव हो सकता है। यह राज्य की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले छोटे किसानों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए तृतीय कृषि रोड मैप के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चलाये गये है जिसमें किसानों को नई तकनीकों, फसल चक्र, जीरो टिलेज इत्यादि के संबंध में विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

5. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में, जिसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (18 जिला यथा–अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, पटना, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा एवं सुपौल), डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (11 जिला

यथा–बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सारण, पश्चिम चम्पारण, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर), बोरलॉग इन्सिटीट्युट फॉर साउथ एशिया (बीसा) पूसा, समस्तीपुर (07 जिला यथा–नालंदा, नवादा, पूर्णियां, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार एवं वैशाली) तथा पूर्वी क्षेत्र हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पटना (02 जिला यथा–गया एवं बक्सर) द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसीवार/घटकवार/वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुसूची–2,3,4,5 एवं 6 के रूप में संलग्न है।

6. योजना अन्तर्गत संरचनात्मक विवरणी निम्नवत् है :–

I. **जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्रामः** इस घटक के अन्तर्गत प्रत्येक जिला के कृषि फार्म, कृषि विभाग, बिहार सरकार के निकटवर्ती 05 गाँव को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम के रूप में चयन किया जाएगा, जहाँ 100 एकड़ में जलवायु अनुकूल फसल प्रणाली तथा तकनीकियों का प्रत्यक्षण किया जाएगा एवं किसानो का प्रशिक्षण भी कराया जाएगा।

II. **द्वितीयक ग्राम .** इस घटक में प्रत्येक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम के पास के 02 गाँव द्वितीयक ग्राम के रूप में चयन किया जाएगा, जहाँ किसानो का प्रशिक्षण एवं तकनीकियों का प्रत्यक्षण भी कराया जाएगा।

III. **द्वितीयक ग्राम - II :** इस घटक में प्रत्येक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम के पास के 07 गाँव द्वितीयक ग्राम के रूप में चयन किया जाएगा, जहाँ से किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम में बुलाकर प्रशिक्षित किया जाएगा।

IV. **किसान/लाभार्थीः** जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम के वैसे किसान जिनका डी0बी0टी0 अंतर्गत पंजीकरण हुआ हो, उन्हीं किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन किसानो का डी0बी0टी0 पंजीकरण संख्या नहीं है उनका पंजीकरण, सम्बंधित कृषि समन्वयक से कराकर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।

V. **प्रत्यक्षण हेतु रकवाः** चयनित गाँव में किसान के पास कम से कम 0.5 तथा अधिक से अधिक 3.0 एकड़ स्वयं की या पट्टे की जमीन होना आवश्यक है। किसानों के चयन में सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुको का चयन स्वीकृत राशि के अनुसार किया जायेगा।

VI. **निदेशालय स्तर पर संरचनाः** जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के संचालन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक (शष्य) को प्रभारी बनाया जाएगा। जलवायु अनुकूल कृषि कोषांग में सहायक निदेशक एवं उप निदेशक भी रहेंगे तथा परियोजना क्रियान्वयन इकाई के प्रभारी संयुक्त निदेशक (शष्य) ही होंगे।

VII. **नोडल एजेन्सी का निर्धारणः** जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का नोडल एजेन्सी कृषि विभाग, बिहार सरकार तथा इसका सहायक नोडल बीसा, पूसा, समस्तीपुर होगा। कार्यान्वयन एजेंसियों में योजना के नोडल, निदेशक प्रसार शिक्षा या उनके समकक्ष वैज्ञानिक होंगे। बीसा, पूसा, समस्तीपुर द्वारा थर्ड पार्टी के माध्यम से योजना का मूल्यांकन एवं समीक्षा कराया जाएगा।

VIII. मूल्यांकन परियोजना के स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के तीन माह के अन्दर सम्पादित करते हुए हस्ताक्षरित मूल्यांकन प्रतिवेदन विभाग को बीसा, पूसा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

चयनित ग्रामों की सूची विभाग को कार्यक्रम की स्वीकृति के एक माह के अन्दर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें यह भी उल्लेख रहेगा कि गांव चयन का आधार क्या है।

7. जिला स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति में कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक होंगे। प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी तथा पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे।

8. **प्रत्येक जिला में प्रशिक्षण का विवरण निम्नवत् है :–**

(भौतिक लक्ष्य– एकड़/संख्या)

गाँव का प्रकार	गाँवों की संख्या	प्रशिक्षण				
		रबी	गरमा	कुल	प्रशिक्षण/ग्राम	कुल
जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम	5	100	84	184	184	920

9. **योजना अन्तर्गत घटकवार विवरणी निम्नवत् है :–**

(क) फसल प्रत्यक्षण (रबी/गरमा) — इस घटक अन्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिलावार/गाँववार फसल प्रत्यक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया जाय तथा प्रत्येक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम गाँव में 100 एकड़ का प्रत्यक्षण किया जायेगा। प्रत्येक जिले में रबी मौसम में कुल 500 एकड़ में फसल प्रत्यक्षण किया जायेगा। गरमा मौसम में 300 एकड़ फसल प्रत्यक्षण एवं 120 एकड़ लेजर लैण्ड लेवलर से भूमि समतलीकरण का प्रत्यक्षण शामिल है। जिलावार/क्षेत्रवार फसल के प्रभेद एवं एग्रो केमिकल का क्रय संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा करते हुए उससे संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा। रबी एवं गरमा में जिलावार/फसलवार प्रत्यक्षण के भौतिक लक्ष्य तथा प्रत्यक्षण हेतु ईकाइ दर से संबंधित विवरणी अनुसूची–3,4,5 एवं 6 के रूप में संलग्न है।

प्रत्यक्षण के माध्यम से दलहन एवं तेलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रत्यक्षण कार्यक्रम में धान के संकर प्रभेदों के बीज का उपयोग भी किया जायेगा, जिसका क्रय बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना से करने का प्रस्ताव है।

दीर्घकालीन फसल प्रणाली प्रयोग — इस घटक अन्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसीयों द्वारा संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रक्षेत्र में जलवायु अनुकूल फसल प्रणाली तथा उचित प्रभेदों की पहचान कर कुल 1.0 हेक्टेयर रकवा में कुल 10 भिन्न–भिन्न फसल प्रणालियों का प्रत्यक्षण किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित घटक हेतु प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र को 1.5 लाख रूपये प्रति वर्ष राशि कर्णांकित है जिसमें फसल प्रत्यक्षण में बोर्ड/ फ्लैक्स की राशि भी सम्मिलित है।

(भौतिक लक्ष्य– एकड़/वित्तीय लक्ष्य–लाख रूपये में)

बि0कृ0वि0, सबौर		डॉ0रा0प्र0के0 कृ0वि0, पूसा		बीसा, पूसा		भा0कृ0 अनु0प0 पटना		कृषि विभाग, बिहार, सरकार		कुल	
भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
18	27.00	11	16.50	7	10.50	2	3.00	0	0.00	38	57.00

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक फसल का कम–से–कम 3 फसल जाँच कटनी कराया जायेगा तथा फसल कटनी से संबंधित डाटा की तुलना सरकारी डाटा के अनुसार करते हुए

प्रतिवेदित किया जायेगा। सभी जिलों के प्रत्येक फसल जाँच कटनी का डेटा रहे ताकि प्रगति की समीक्षा की जा सकी। प्रत्येक सी0आर0ए0 प्लॉट का जियो टैगिंग डिजीटल क्रॉप सर्वे संबंधित कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के माध्यम से कराया जायेगा तथा योजना से संबंधित डेटा चारों कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ई–एग्रोलोजी पर उपलब्ध कराया जायेगा।

उर्वरक का उपयोग– सभी कार्यान्वयन एजेंसियाँ यह सुनिश्चित करेंगे कि फसल प्रत्यक्षण में किसानों द्वारा संतुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा। पूर्व में जलवायु अनुकूल कृषि योजना अंतर्गत क्रय किए गए ग्रीन सीकर एवं लीफ कलर चार्ट का उपयोग कर किसानों को नत्रजन उर्वरकों का संतुलित मात्रा की अनुशंसा की जायेगी। प्रत्येक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम से 10 मिट्टी का नमूना जाँच हेतु लिया जायेगा तथा इसके आधार पर भी उर्वरकों के संतुलित मात्रा की अनुशंसा की जाएगी।

(ख) अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण :-

I. **कस्टम हायरिंग सेंटर–** जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित ग्राम में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन के माध्यम से की जाएगी। पूर्व में उपलब्ध मशीनों का मरम्मति कराया जाना है जिसके लिए 50,000/– रू0 निर्धारित किया जाएगा। पूर्व से जलवायु अनुकूल कृषि योजना अंतर्गत क्रय किए गए मशीनों को किराया के आधार पर (ईंधन एवं चालक की राशि) पर योजना अंतर्गत पारदर्शी तरीके से चयनित किसानों के यहाँ भी चलाया जा सकता है।

II. सरसों के क्षेत्रों में इसके प्रत्यक्षण के अतिरिक्त मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु 50 मधुमक्खी बॉक्स उद्यान निदेशालय के माध्यम से प्रत्येक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम में उपलब्ध कराया जायेगा।

III. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित ग्राम में 50 एकड़ में पर ड्राप मोर क्रॉप योजना से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

IV. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित ग्राम में वर्मीकम्पोस्ट की 10 इकाई की स्थापना प्राकृतिक खेती के माध्यम से करायी जाएगी।

V. प्रत्येक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम से 10 मिट्टी का नमूना जाँच हेतु सम्बंधित कृषि समन्वयक द्वारा लिया जायेगा जिसका जाँच मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में कराया जायेगा।

उपरोक्त क्रमांक–I-V तक का विभागीय योजनाओं के नोडल पदाधिकारी से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी द्वारा समन्वयक स्थापित कर कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

(ग) सीड हब का विकास – बीज का उत्पादन कृषि विभाग, बिहार सरकार अन्तर्गत फार्म में तथा इसके अन्तर्गत जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम में अनुसूची–7 के अनुसार किया जायेगा। उत्पादित बीज को बी0आर0बी0एन0 लि0, पटना द्वारा फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य + 30% राशि पर खरीदा जाएगा। संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक द्वारा इस योजना अन्तर्गत कार्यरत क्लस्टर कोऑर्डिनेटर तथा तकनीकी सहायक की देखरेख में किसान के खेत में बीज का उत्पादन किया जाएगा। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के पूर्व बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना के साथ समझौता ज्ञापन (एम0 ओ0 यू0) किया जायेगा। बसोका, बिहार, पटना से बीज प्रमाणन की अनिवार्यता होगी।

सीड हब का घटकवार/एजेंसीवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–7 के रूप में संलग्न है।

(घ) क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट– इस घटक अन्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसी जिले के फसल प्रत्यक्षण के अनुसार प्रशिक्षण से संबंधित विषय को निर्धारित करते हुए मॉड्यूल का निर्माण करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किसानों के प्रक्षेत्र पर कराया जाएगा तथा प्रशिक्षणार्थियों का बायोमैट्रिक्स उपस्थिति से संबंधित कार्य तकनीकी सहायक के द्वारा किया जाएगा। सभी प्रशिक्षण चिन्हित गाँव में हो, किसानों का किसानों के खेतों से सीधे इंटरवेंशन और प्रैक्टिसेज का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी हो। प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर विजिट का कार्यक्रम स्वीकृति के एक माह के अन्दर तैयार कर विभाग को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट का घटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–8 के रूप में संलग्न है।

(ड.) कार्यशाला और स्टेक होल्डर की बैठक– इस घटक अन्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना शुभारंभ, प्रत्येक वर्ष योजना की समीक्षा, स्टेक होल्डर की बैठक तथा इस योजना की उन्नत प्रणाली अपनाने हेतु किसानों को प्रेरित करने के लिए कार्यशाला आयोजित किया जायेगा।

कार्यशाला और स्टेक होल्डर की बैठक घटकवार/एजेंसीवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–9 के रूप में संलग्न है। कार्यशाला और बैठक का कैलेन्डर तैयार कर विभाग को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(च) परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा– बीसा, पूसा, समस्तीपुर के द्वारा थर्ड पार्टी के माध्यम से परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराया जाएगा।

(छ) परियोजना स्टाफ– प्रत्येक जिला में 02 तकनीकी सहायक तथा 01 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर होंगे जो इन 05 गाँवों में योजना को कार्यान्वित करेंगे। इनकी योग्यता कृषी स्नातक (कृषि/उद्यान) रहेगें। सभी चयनित तकनीकी सहायक एवं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केन्द्र में न बैठकर संबंधित प्रक्षेत्र/गाँवों पर ही रहेंमे। कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा नियोजन से संबंधित कार्य के दौरान Waiting List 01 साल तक मान्य होगी। परियोजना निगरानी ईकाई अन्तर्गत सदस्यों के नियोजन में बिहार सरकार द्वारा नियोजन के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों/निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रत्येक नियोजन में अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जायेगा कि नियोजित कर्मी सरकारी कर्मी का दावा नहीं करेंगे तथा नियोजन का पद पूर्णतः अस्थायी है।

परियोजना स्टाफ अन्तर्गत सदस्यों का एजेंसीवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–10 के रूप में संलग्न है। अन्तराष्ट्रीय सलाहकार हेतु स्वीकृति राशि का उपयोग सलाहकार की परियोजना में उपयोगिता और सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखकर ही नोडल पदाधिकारी द्वारा व्यय किया जायेगा।

(ज) आकस्मिकता/पी0ओ0एल0/परिचालन व्यय– इस योजना के कार्यान्वयन में आकस्मिकता हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग भाड़े का वाहन/वाहन का ईंधन, प्रगतिशील किसानों के प्रक्षेत्र पर बोर्ड एवं फ्लैक्स तथा स्टेशनरी से संबंधित कार्य हेतु किया जाएगा।

10. प्रत्येक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम प्लॉट का जीओ टैगिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे संबंधित कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के माध्यम से कराया जाएगा तथा योजना से संबंधित डाटा चारो कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा ई–एग्रोलोजी पर उपलब्ध कराया जाएगा।

11. इस योजना अन्तर्गत प्रतिवर्ष 30800 मानव दिवस का सृजन होना सम्भावित है। प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी विभागीय नोडल पदाधिकारी को प्रत्येक माह के 05वीं तारीख तक हस्ताक्षरित प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

12. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को बचत खाता राज्य में अवस्थित बैंक में खोलना आवश्यक होगा।

13. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर वित्तीय सीमा के अंदर यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

14. योजना के कार्यान्वयन में बिहार वित्तीय नियमावली तथा वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

15. राज्य स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बीसा पूसा, समस्तीपुर एवं पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पटना के लिए आवंटित राशि की निकासी अनुसूची–02 एवं 11 के अनुसार कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बामेती से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर बी0टी0सी0 फार्म–46 पर नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जाएगा तथा इसे बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) के पी0एल0 खाता सं0 PBBPLA020 में स्थानांतरित किया जाएगा तथा चाईल्ड एकाउंट बनाकर कार्यान्वयन एजेंसियों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

16. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। एवं इसकी प्रति कृषि विभाग को भी उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही बिहार वित्त नियमावली के अनुरुप अंकेक्षण लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

17. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि की विवरणी :–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष–104–कृषि फार्म, उपशीर्ष–0106–कृषि नवीनता में प्रोत्साहन विपत्र कोड–01-2401001040106		
विषय शीर्ष– 28–04 व्यावसायिक/ कला/ तकनीकी सेवायें	167.28	348.00
विषय शीर्ष – 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन	9414.23	2106.59
कुल	**9581.51**	**2454.59**

मुख्य शीर्ष–2401– फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0147–कृषि नवीनता में प्रोत्साहन विपत्र कोड–01-2401007890147		
विषय शीर्ष– 28–04 व्यावसायिक/ कला/ तकनीकी सेवायें	42.56	88.62
विषय शीर्ष – 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन	2397.44	536.46
कुल	**2440.00**	**625.08**
मुख्य शीर्ष–2401– फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष– 0169 – कृषि नवीनता में प्रोत्साहन विपत्र कोड–01-2401007960169		
विषय शीर्ष– 28–04 व्यावसायिक/ कला/ तकनीकी सेवायें	2.97	6.48
विषय शीर्ष – 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन	175.52	39.24
कुल	**178.49**	**45.72**
सकल योग	**12200.00**	**3125.39**
विषय शीर्ष 28–04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें में सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटियों में उपलब्ध अवशेष राशि से प्रस्तावित राशि अधिक है। तत्काल उपलब्ध अवशेष राशि की निकासी एवं व्यय किया जाएगा तथा शेष आवश्यक राशि हेतु उद्व्यय योजना एवं विकास विभाग तथा बजट उपबंध आन्तरिक सामंजन के माध्यम से अथवा अगले अनुपूरक आगणन के माध्यम से वित्त विभाग से प्राप्त कर निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।		

18. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201/वि0 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव लोक वित्त समिति से दिनांक–26.09.2025 को अनुशंसित है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मद सं0–114 के रूप में दिनांक–03.10.2025 को संचिका संख्या– 286/बामेती/2024–25 के पृ0सं0–66/टि0 पर प्राप्त है।

19. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

20. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–286/बामेती/2024–25 के टिप्पणी पृष्ठ–69/टि0 पर दिनांक–04.10.2025 को प्राप्त है जिसका डायरी संख्या–794 दिनांक–04.10.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOJNA 2025-26\DD2 (Gaurav)\Sanction Order-CRA 25.09.2025 (3125.39).doc

ज्ञापांक सं0–286/बामेती/2024–25/-पी0पी0एम0-155- /कृ० पटना दिनांक-04.10.2025

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0 एंव ह0), बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0–286/बामेती/2024–25/-पी0पी0एम0-155- /कृ० पटना दिनांक-04.10.2025

प्रतिलिपिः– योजना एंव विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0–286/बामेती/2024–25/-पी0पी0एम0-155- /कृ० पटना दिनांक-04.10.2025

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0–286/बामेती/2024–25/-पी0पी0एम0-155- /कृ० पटना दिनांक-04.10.2025

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक पौधा संरक्षण/सभी सहायक निदेशक पौधा संरक्षण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOJNA 2025-26\DD2 (Gaurav)\Sanction Order-CRA 25.09.2025 (3125.39).doc

अनुसूची–1

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025–26 का घटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(भौतिक लक्ष्य– एकड़/संख्या; वित्तीय लक्ष्य–लाख रू0 में)

क्र. सं.	घटक	बि0कृ0वि0, सबौर		डॉ0रा0प्र0कें0कृ0वि0, पूसा		बीसा, पूसा		भा0कृ0अनु0प0 पटना		कृषि विभाग, बिहार सरकार		कुल	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1.1	फसल प्रत्यक्षण–रबी	9000	506.20	5500	311.50	6563	367.69	1000	55.60	0	0.00	22063	1240.99
1.2	फसल प्रत्यक्षण–गरमा	7560	341.76	4620	205.93	4778	217.02	840	37.94	0	0.00	17798	802.65
1.3	दीर्घकालिक फसल प्रणाली प्रयोग	18	27.00	11	16.50	7	10.50	2	3.00	0	0.00	38	57.00
1.4	बीज हब (38)	900	90.00	330	33.00	700	70.00	120	12.00	0	0.00	2050	205.00
2	किसानों के लिए प्रशिक्षण	35269	126.56	21552	77.35	14438	49.22	4125	14.06	0	0.00	75384	267.19
3.1	किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट	878	4.39	536	2.68	341	1.71	98	0.49	260	1.30	2113	10.57
3.2	कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	34	2.52	34	2.52	20	1.46	15	1.05	20	1.46	123	9.01
3.3	कार्यशाला एवं स्टेकहोल्डर की बैठक	234	2.34	182	1.82	312	3.12	52	0.52	416	4.16	1196	11.96
4	परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00
5	परियोजना क्रियान्वन के लिए स्टाफ की लागत	56	172.20	35	108.50	28	105.70	8	26.60	6	30.10	133	443.10
6	आकस्मिकता/पी0ओ0एल0/परिचालन व्यय	0	24.48	0	14.96	0	16.72	0	2.72	0	9.04	0	67.92
कुल		**53949**	**1297.45**	**32801**	**774.76**	**27188**	**853.14**	**6260**	**153.98**	**702**	**46.06**	**120899**	**3125.39**

23/9/2025

निदेशक बामेती
बिहार, पटना

अनुसूची–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 से संबंधित एजेंसीवार वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(वित्तीय लक्ष्य–लाख रू० में)

कार्यान्वयन एजेंसी	वर्ष (2025–26)
बि०कृ०वि०, सबौर	1297.45
डॉ०रा०प्र०कें०कृ०वि०, पूसा	774.76
बीसा, पूसा	853.14
भा०कृ०अनु०प० पटना	153.98
कृषि विभाग, बिहार सरकार	46.06
कुल	**3125.39**

वित्तीय वर्ष 2025–26 से संबंधित कोटिवार बजट विवरणी

(वित्तीय लक्ष्य–लाख रू० में)

कार्यान्वयन एजेंसी	सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		योग		
	28–04	31–06	28–04	31–06	28–04	31–06	28–04	31–06	सकल योग
बि०कृ०वि०, सबौर	135.24	883.77	34.44	225.05	2.52	16.42865	172.2	1125.25	**1297.45**
डॉ०रा०प्र०कें०कृ० वि०, पूसा	85.22	523.28	21.7	133.252	1.58	9.727396	108.5	666.26	**774.76**
बीसा, पूसा	83.01	587.04	21.14	149.488	1.55	10.91262	105.7	747.44	**853.14**
भा०कृ०अनु०प० पटना	20.89	100.04	5.32	25.476	0.39	1.859748	26.6	127.38	**153.98**
कृषि विभाग, बिहार सरकार	23.64	12.53	6.02	3.192	0.44	0.233016	30.1	15.96	**46.06**
कुल	**348.00**	**2106.67**	**88.62**	**536.458**	**6.48**	**39.1614**	**443.1**	**2682.29**	**3125.39**

Tripathi 23/9/202

निदेशक बामेती
बिहार, पटना

अनुसूची–3 (i)

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु बासंतिक (रबी) का जिलावार एवं एजेंसीवार फसल प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य

(क्षेत्रफल एकड़ में)

कार्यान्वयन एजेंसी	जिला	जीरो टिलेज से गेहूं की बुवाई	रेज्ड बेड मक्का	जीरो टिलेज से चना की बुवाई	जीरो टिलेज से मसूर की बुवाई	रेज्ड बेड सरसों	अलसी/सूरजमुखी	आलू	फूलगोभी, पत्तागोभी	बैंगन	टमाटर	प्याज	कुल
बि0कृ0वि0, सबौर	अररिया	60	80	40	40	40	40	40	60	20	40	500	500
	अरवल	60	100	30	30	60	20	40	60	20	40	500	500
	औरंगाबाद	80	40	30	30	80	40	40	60	20	40	500	500
	बांका	80	40	30	30	80	40	40	60	20	40	500	500
	भागलपुर	80	80	20	20	60	40	40	60	20	40	500	500
	भोजपुर	80	40	40	40	60	40	40	60	20	40	500	500
	जमुई	100	60	30	30	40	40	40	60	20	40	500	500
	जहानाबाद	80	20	40	40	80	40	40	60	20	40	500	500
	कैमूर	80	60	40	40	80	0	40	60	20	40	500	500
	खगड़िया	80	60	40	60	60	0	40	60	20	40	500	500
	किशनगंज	140	40	30	30	60	0	40	60	20	40	500	500
	लखीसराय	100	80	20	20	80	0	40	60	20	40	500	500
	मधेपुरा	100	40	40	40	80	0	40	60	20	40	500	500
	पटना	80	40	30	30	80	40	40	60	20	40	500	500
	रोहतास	80	20	20	40	60	80	40	60	20	40	500	500
	सहरसा	80	40	40	40	60	40	40	60	20	40	500	500
	शेखपुरा	120	40	40	40	60	0	40	60	20	40	500	500
	सुपौल	100	100	0	40	60	0	40	60	20	40	500	500
कुल		**1580**	**980**	**560**	**640**	**1180**	**460**	**720**	**1080**	**360**	**720**	**720**	**9000**

निदेशक बामेती 23/9/2025
बिहार, पटना

अनुसूची–3 (ii)

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु बासंतिक (रबी) का जिलावार एवं एजेंसीवार फसल प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य

(क्षेत्रफल एकड़ में)

कार्यान्वयन एजेंसी	जिला	जीरो टिलेज से गेहुँ की बुवाई	रेज्ड बेड मक्का	जीरो टिलेज से चना की बुवाई	जीरो टिलेज से मसूर की बुवाई	रेज्ड बेड सरसों	अलसी/सूरजमुखी	आलू	फूलगोभी, पत्तागोभी	बैंगन	टमाटर	प्याज	कुल
डॉ0रा0प्र0कें0कृ0वि0, पूसा	बेगूसराय	100	100	0	40	60	0	40	60	20	40	40	500
	दरभंगा	100	100	0	40	60	0	40	60	20	40	40	500
	पूर्वी चंपारण	100	100	0	40	60	0	40	60	20	40	40	500
	गोपालगंज	60	40	0	60	100	40	40	60	20	40	40	500
	शिवहर	120	40	0	40	60	40	40	60	20	40	40	500
	सीतामढ़ी	100	40	0	40	80	40	40	60	20	40	40	500
	सिवान	60	80	0	40	80	40	40	60	20	40	40	500
	सारण	60	60	0	40	100	40	40	60	20	40	40	500
	पश्चिम चंपारण	100	80	0	60	60	0	40	60	20	40	40	500
	मधुबनी	100	60	0	60	80	0	40	60	20	40	40	500
	मुजफ्फरपुर	100	40	0	40	80	40	40	60	20	40	40	500
कुल		**1000**	**740**	**0**	**500**	**820**	**240**	**440**	**660**	**220**	**440**	**440**	**5500**
बीसा, पूसा	नालंदा	187	56	56	75	75	113	75	113	37	75	75	937
	नवादा	187	56	56	75	75	113	75	113	37	75	75	937
	पूर्णिया	187	113	0	113	150	0	75	112	37	75	75	937
	समस्तीपुर	188	113	38	90	112	23	75	112	37	75	75	938
	मुंगेर	150	75	75	75	113	75	75	113	37	75	75	938
	कटिहार	150	113	75	113	113	0	75	112	37	75	75	938
	वैशाली	150	113	0	75	150	75	75	113	37	75	75	938
कुल		**1199**	**639**	**300**	**616**	**788**	**399**	**525**	**788**	**259**	**525**	**525**	**6563**
भा0कृ0अनु0प0 पटना	गया	100	30	30	40	40	60	40	60	20	40	40	500
	बक्सर	100	40	40	40	40	40	40	60	20	40	40	500
कुल		**200**	**70**	**70**	**80**	**80**	**100**	**80**	**120**	**40**	**80**	**80**	**1000**
सम्पूर्णयोग		**3980**	**2428**	**930**	**1835**	**2868**	**1198**	**1765**	**2648**	**883**	**1765**	**1765**	**22063**

23/9/2025

निदेशक बामेती

बिहार, पटना

अनुसूची–4 (i)

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ग्रीष्मकालीन (गरमा) का जिलावार एवं एजेंसीवार फसल प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य

(क्षेत्रफल एकड़ में)

कार्यान्वयन एजेंसी	जिला	मूंग	रेज्ड बेड मक्का	मोटे अनाज	तिलहन	दलहन	ढैंचा	लत्तेदार सब्जियाँ	भिंडी	बैंगन	लेज़र लैंड लेवलर	कुल
बि0कृ0वि0, सबौर	अररिया	120	20	20	8	8	24	40	40	20	120	420
	अरवल	120	20	20	12	8	20	40	40	20	120	420
	औरंगाबाद	120	20	20	8	8	24	40	40	20	120	420
	बांका	100	20	20	20	16	24	40	40	20	120	420
	भागलपुर	100	40	24	10	10	16	40	40	20	120	420
	भोजपुर	100	50	20	10	10	10	40	40	20	120	420
	जमुई	108	40	20	10	6	16	40	40	20	120	420
	जहानाबाद	120	20	20	10	10	20	40	40	20	120	420
	कैमूर	120	10	10	20	20	20	40	40	20	120	420
	खगड़िया	120	16	16	16	16	16	40	40	20	120	420
	किशनगंज	120	20	20	8	16	16	40	40	20	120	420
	लखीसराय	120	20	20	10	10	20	40	40	20	120	420
	मधेपुरा	120	10	10	20	20	20	40	40	20	120	420
	पटना	120	20	20	16	8	16	40	40	20	120	420
	रोहतास	100	20	20	20	20	20	40	40	20	120	420
	सहरसा	120	10	10	20	20	20	40	40	20	120	420
	शेखपुरा	100	20	20	40	10	10	40	40	20	120	420
	सुपौल	100	20	10	10	40	20	40	40	20	120	420
कुल		**2028**	**396**	**320**	**268**	**256**	**332**	**720**	**720**	**360**	**2160**	**7560**

23/9/2025

निदेशक बामेती
बिहार, पटना

अनुसूची–4 (ii)

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ग्रीष्मकालीन (गरमा) का जिलावार एवं एजेंसीवार फसल प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य

(क्षेत्रफल एकड़ में)

कार्यान्वयन एजेंसी	जिला	मूंग	रेज्ड बेड मक्का	मोटे अनाज	तेलहन	दलहन	ढैंचा	लत्तेदार सब्जियाँ	भिंडी	बैंगन	लेज़र लैड लेवलर	कुल
डॉ0रा0प्र0कें0कृ0वि0, पूसा	बेगूसराय	100	20	20	20	8	32	40	40	20	120	420
	दरभंगा	100	20	20	10	10	40	40	40	20	120	420
	पूर्वी चंपारण	120	20	20	10	10	20	40	40	20	120	420
	गोपालगंज	100	20	20	20	20	20	40	40	20	120	420
	शिवहर	120	20	20	12	10	18	40	40	20	120	420
	सीतामढ़ी	120	20	10	10	20	20	40	40	20	120	420
	सिवान	100	20	20	10	10	40	40	40	20	120	420
	सारण	100	20	20	18	12	30	40	40	20	120	420
	पश्चिम चंपारण	100	10	20	20	14	36	40	40	20	120	420
	मधुबनी	100	20	20	10	18	32	40	40	20	120	420
	मुजफ्फरपुर	100	24	24	12	14	26	40	40	20	120	420
कुल		**1160**	**214**	**214**	**152**	**146**	**314**	**440**	**440**	**220**	**1320**	**4620**
बीसा, पूसा	नालंदा	187	75	38	18	19	67	70	50	37	120	681
	नवादा	188	38	53	34	34	60	70	50	38	120	685
	पूर्णिया	187	37	45	30	38	65	70	50	37	120	679
	समस्तीपुर	188	75	18	19	38	64	76	50	38	120	686
	मुंगेर	187	37	37	38	38	66	72	50	37	120	682
	कटिहार	188	37	37	37	37	63	75	50	38	120	682
	वैशाली	150	75	75	15	30	55	75	50	38	120	683
कुल		**1275**	**374**	**303**	**191**	**234**	**440**	**508**	**350**	**263**	**840**	**4778**
भा0कृ0अनु0प0 पटना	गया	100	24	24	30	6	16	40	40	20	120	420
	बक्सर	100	20	20	20	20	20	40	40	20	120	420
कुल		**200**	**44**	**44**	**50**	**26**	**36**	**80**	**80**	**40**	**240**	**840**
सम्पूर्णयोग		**4663**	**1028**	**881**	**661**	**662**	**1122**	**1748**	**1590**	**883**	**4560**	**17798**

23/9/2025

निदेशक बामेती
बिहार, पटना

अनुसूची–5

फसल प्रत्यक्षण के इकाई लागत का विवरणः

बासंतिक (रबी)	इकाई लागत (रु./एकड़)	ग्रीष्मकालीन (गरमा)	इकाई लागत (रु./एकड़)
शून्य जुताई तकनीक से गेहूँ की बुवाई	3500	मूंग	4000
रेज्ड बेड मक्का	6000	रेज्ड बेड मक्का	6000
शून्य जुताई तकनीक से चना की बुवाई	4000	मोटे अनाज	3500
शून्य जुताई तकनीक से मसूर की बुवाई	4000	सूर्यमुखी/तिल/मूंगफली	4000
रेज्ड बेड सरसों	3500	उड़द	4000
अलसी/सूर्यमुखी	4000	ढैंचा	2000
आलू	10000	करेला, लौकी, आदि	8000
फूलगोभी/पत्ता गोभी	10000	भिंडी	10000
बैगन	4000	बैंगन	4000
टमाटर	7000	लैजर लैंड लेवलर	2500
प्याज	5500	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Pripathi 23/9/2025

निदेशक बामेती
बिहार, पटना

अनुसूची–6

फसल प्रत्यक्षण का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य सम्बंधित विवरणी

(भौतिक लक्ष्य– संख्या; वित्तीय लक्ष्य–लाख रूपये में)

रबी			गरमा		
घटक	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	घटक	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
शून्य जुताई तकनीक से गेहूँ की बुवाई	3979	139.27	मूंग	4663	186.53
रेज्ड बेड मक्का	2429	145.74	रेज्ड बेड मक्का	1028	61.69
शून्य जुताई तकनीक से चना की बुवाई	930	37.20	मोटे अनाज	881	30.85
शून्य जुताई तकनीक से मसूर की बुवाई	1836	73.44	सूर्यमुखी/तिल/मूंगफली	661	26.45
रेज्ड बेड सरसों	2868	100.38	उड़द	662	26.49
अलसी/सूर्यमुखी	1199	47.96	ढैंचा	1122	22.45
आलू	1765	176.50	करेला, लौकी, आदि	1748	139.85
फूलगोभी/पत्ता गोभी	2648	264.80	भिंडी	1590	159.00
बैगन	879	35.16	बैंगन	883	35.34
टमाटर	1765	123.54	लैजर लैंड लेवलर	4560	114.00
प्याज	1765	97.00	–		
कुल	**22063**	**1240.99**	कुल	17798	802.65

Pripatti
23/9/2025

निदेशक बामेती
बिहार, पटना

अनुसूची–7
सीड हब का विकास (संख्या–38)

(भौतिक लक्ष्य– एकड़; वित्तीय लक्ष्य– लाख रू0 में)

क्र0सं0	घटक	बि0कृ0वि0, सबौर		डॉ0रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा		बीसा, पूसा		भा0कृ0अनु0प0, पटना		कुल	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	रिवॉल्विंग फंड (प्रथम वर्ष)	900	90.00	330	33.00	700	70.00	120	12.00	2050	205.00

वित्तीय वर्ष 2025–26 में अपेक्षित बीज उत्पादन

(रकवा – एकड़; उत्पादन – क्विंटल में)

फसल	रकवा/हब	अनुमानित उत्पादन
उडद	10	35
रागी	5	30
सांवा	5	30
गेहूँ	45	520
चना	15	90
मसूर	10	60
सरसों	10	70
कुल	**100**	**915**

Fiipathi 23/9/2025
निदेशक बामेती
बिहार, पटना

अनुसूची–8 (i)

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु क्षमता निर्माण प्रशिक्षण

(भौतिक लक्ष्य– संख्या; वित्तीय लक्ष्य–लाख रूपये में)

वर्ष	घटक	इकाई लागत (रु. /व्यक्ति/ दिन)	बि0कृ0वि0, सबौर		डॉ0रा0प्र0कें0कृ0वि0, पूसा		बीसा, पूसा		भा0कृ0अनु0प0 पटना		कृषि विभाग, बिहार सरकार		कुल	
			भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
प्रथम	सीआरए गांव का किसान प्रशिक्षण	0.003	6413	20.25	3918	12.38	2625	7.88	750	2.25	0	0.00	13706	42.76
	सहायक सीआरए गांव का किसान प्रशिक्षण	0.0035	28856	106.31	17634	64.97	11813	41.34	3375	11.81	0	0.00	61678	224.43
कुल		-	**35269**	**126.56**	**21552**	**77.35**	**14438**	**49.22**	**4125**	**14.06**	**0**	**0.00**	**75384**	**267.19**

अनुसूची–8 (ii)

वित्तीय वर्ष 2025–26 में एक्सपोजर विजिट/मेला

(भौतिक लक्ष्य– संख्या; वित्तीय लक्ष्य–लाख रूपये में)

	घटक	इकाई लागत (रु./व्यक्ति/ दिन)	बि0कृ0वि0, सबौर		डॉ0रा0प्र0कें0कृ0वि0, पूसा		बीसा, पूसा		भा0कृ0अनु0प0 पटना		कृषि विभाग, बिहार सरकार		कुल	
			भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
वित्तीयवर्ष (2025–26)	एक्सपोजर विजिट/मेला	0.005	878	4.39	536	2.68	341	1.71	98	0.49	260	1.30	2113	10.57

अनुसूची–8 (iii)

अधिकारी/वैज्ञानिक/कर्मचारी का प्रशिक्षण

(भौतिक लक्ष्य– संख्या; वित्तीय लक्ष्य–लाख रूपये में)

वर्ष	घटक	बि0कृ0वि0, सबौर		डॉ0रा0प्र0कें0कृ0वि0, पूसा		बीसा, पूसा		भा0कृ0अनु0प0 पटना		कृषि विभाग, बिहार सरकार		कुल	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
वित्तीय वर्ष (2025–26)	अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण	34	2.52	34	2.52	20	1.46	15	1.05	20	1.46	**123**	**9.01**

23/9/2025

निदेशक बामेती

बिहार, पटना

अनुसूची–9
कार्यशाला और हितधारकों की बैठक से संबंधित विवरणी

(भौतिक लक्ष्य– संख्या; वित्तीय लक्ष्य–लाख)

वर्ष	घटक	बि0कृ0वि0, सबौर		डॉ0रा0प्र0कें0कृ0वि0, पूसा		बीसा, पूसा		भा0कृ0अनु0प0 पटना		कृषि विभाग, बिहार सरकार		कुल	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
वित्तीय वर्ष (2025–26)	प्रोजेक्ट लॉन्चिंग	0	0.00	0	0.00	104	1.04	0	0.00	78	0.78	182	1.82
	वार्षिक समीक्षा बैठक	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	104	1.04	104	1.04
	भागीदारों की बैठक	104	1.04	78	0.78	78	0.78	26	0.26	104	1.04	390	3.90
	हितधारकों की बैठक	130	1.30	104	1.04	130	1.30	26	0.26	130	1.30	520	5.20
	कुल	**234**	**2.34**	**182**	**1.82**	**312**	**3.12**	**52**	**0.52**	**416**	**4.16**	**1196**	11.96

Fulpatti
निदेशक बामेती 23/9/2025
बिहार, पटना

अनुसूची–10

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025–26 में परियोजना कर्मी के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी

(भौतिक लक्ष्य– संख्या में, वित्तीय लक्ष्य– लाख रूपये में)

क्रमांक	CRA कर्मी	बि0कृ0वि0, सबौर		डॉ0रा0प्र0कें0कृ0वि0, पूसा		बीसा, पूसा		भा0कृ0अनु0प0 पटना		कृषि विभाग, बिहार सरकार		कुल		परियोजना क्रियान्वन के लिए स्टाफ का आधार
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	
1	परियोजना समन्वयक	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.50	**1**	**10.50**	परियोजना के संचालन हेतु मुख्यालय स्तर पर 01 परियोजना समन्वयक रहेंगे।
2	परियोजना प्रबंधक	1	5.60	1	5.60	1	5.60	1	5.60	0	0.00	**4**	**22.40**	परियोजना के संचालन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी पर 01-01 परियोजना प्रबंधक रहेंगे।
3	हब समन्वयक	0	0.00	0	0.00	2	9.10	0	0.00	0	0.00	**2**	**9.10**	निगरानी एवं कार्य संचालन हेतु केवल बीसा के लिए 02 हब समन्वयक रहेंगे।
4	क्लस्टर समन्वयक	18	63.00	11	38.50	7	24.50	2	7.00	2	7.00	**40**	**140.00**	सभी सीड हब वाले गाँव के लिए 01 कलस्टर समन्वयक रहेंगे जो सम्बंधित गाँव में प्रत्यक्षण, बीज उत्पादन के साथ साथ अन्य 04 गाँवो के तकनीकी सहायको का भी अनुश्रवण करेंगे। मुख्यालय स्तर पर 02 कलस्टर समन्वयक रहेंगे।
5	तकनीकी सहायक	37	103.60	23	64.40	15	42.00	5	14.00	0	0.00	**80**	**224.00**	प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक जिला में 02 तथा कार्यान्वयन एजेंसी पर 01 तकनीकी सहायक रहेंगे।
6	अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार	0	0.00	0	0.00	1	14.00	0	0.00	0	0.00	**1**	**14.00**	विभिन्न तकनिकी सहयोग एवं नवाचार हेतु बीसा के लिए 01 अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार रहेंगे।
7	कृषि डेटा विश्लेषक	0	0.00	0	0.00	1	5.60	0	0.00	1	5.60	**2**	**11.20**	Data के Analysis के लिए 01 कृषि डेटा विश्लेषक बीसा, पूसा को तथा 01 मुख्यालय स्तर पर रहेंगे।
8	संचार विशेषज्ञ /रिपोर्ट लेखन	0	0.00	0	0.00	1	4.90	0	0.00	1	4.90	**2**	**9.80**	तकनिकी लेख, पत्रिका एवं अन्य लेखन हेतु 01 संचार विशेषज्ञ बीसा, पूसा को तथा 01 मुख्यालय स्तर पर रहेंगे।
9	डेटा प्रविष्टि ऑपरेटर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.10	**1**	**2.10**	परियोजना से सम्बंधित Data प्रविष्टि हेतु 01 डेटा प्रविष्टि ऑपरेटर मुख्यालय स्तर पर रहेंगे।
कुल		**56**	**172.20**	**35**	**108.50**	**28**	**105.70**	**8**	**26.60**	**6**	**30.10**	**133**	**443.10***	*रबी 2025-26 से गरमा –2026

Signature: 23/9/2025

निदेशक बामेती

बिहार, पटना

8341

अनुसूची–11

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत राशि के भुगतान हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कोटिवार स्वीकृत राशि की विवरणी

(राशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	कृषि निदेशक, बिहार, पटना	2454.59	625.08	45.72	**3125.39**

23/9/25

निदेशक बामेती
बिहार, पटना